

ऑनलाइन

साक्षात्कार पत्र के निर्देशों का अत्यंत सावधानीपूर्वक अध्ययन कर व उन्हें भली-भांति समझने के पश्चात आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध समस्त प्रपत्रों का प्रिंट निकालकर आवश्यक जानकारीयों की प्रविष्टि कर साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करें।



प्रावधिक-पत्र

विज्ञापन की शर्तों के अधीन

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर

शंकर नगर मार्ग, रायपुर -492001
फोन नं. -0771-2439562, 2446556 (फैक्स), वेबसाइट-www.psc.cg.gov.in

क्रमांक 208 /01/चयन/2020

दिनांक 07/07/2021

साक्षात्कार-पत्र

**सहायक प्राध्यापक-प्राणीशास्त्र, भौतिक शास्त्र, अंग्रेजी एवं इतिहास
(उच्च शिक्षा विभाग)**

महोदय/महोदया,

सहायक प्राध्यापक (उच्च शिक्षा विभाग) के साक्षात्कार हेतु चिन्हांकित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन साक्षात्कार तिथि के एक दिन पूर्व निर्धारित पाली प्रथम पाली-पूर्वाह्न 09.00 बजे से 12.00 बजे तक तथा द्वितीय पाली- अपराह्न 01.00 बजे से 05.00 बजे तक किया जाकर निर्धारित तिथि को साक्षात्कार लिया जायेगा। दस्तावेजों के सत्यापन में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

2. साक्षात्कार के लिए उपरोक्तानुसार निर्धारित तिथि/समय में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। नीचे लिखे निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर लें एवं आवश्यक मूल दस्तावेजों के साथ निर्धारित तिथि एवं समय पर आयोग कार्यालय में उपस्थिति दें।

2.1 सफलतापूर्वक ऑनलाइन साक्षात्कार बुलावा पत्र एवं संलग्न चार दस्तावेज (1) जानकारी पत्रक (01 प्रति में), (2) अनुप्रमाणन-पत्र (03 प्रति में) (तीनों प्रतियों को राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित कराना अनिवार्य है।) (3) उपस्थिति पत्रक (01 प्रति में) तथा (4) व्यक्तिगत विवरण (06 प्रतियों में) डाऊनलोड कर आवश्यक प्रविष्टियां कर दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है। अनुप्रमाणन पत्र एवं जानकारी पत्रक महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं तथा इसमें त्रुटिपूर्ण/गलत जानकारी दिये जाने पर आपकी उम्मीदवारी निरस्त की जा सकती है।

2.2 अनुप्रमाणन पत्रक के पहचान प्रमाण पत्र कॉलम में किसी राजपत्रित अधिकारी से सत्यापन (तीनों प्रतियों में) कराया जाना अनिवार्य है। (अनुप्रमाणन पत्रक की छायाप्रति स्वीकार नहीं किया जायेगा) अतः राजपत्रित अधिकारी से सत्यापन कराकर ही अनुप्रमाणन पत्रक की हार्डकॉपी तीन मूल प्रतियों में प्रस्तुत करना होगा।

2.3 सहायक प्राध्यापक (उच्च शिक्षा विभाग) के पद के लिए आयोग द्वारा प्रसारित विज्ञापन क्रमांक 02/2019/परीक्षा/दिनांक 18.01.2019 रोजगार और नियोजन में प्रकाशन दिनांक 23.01.2019 के अनुसार आवश्यक शैक्षणिक अर्हता- विज्ञापन की कंडिका (iv)-(क), (ख), (ग) एवं (घ) अनुसार होना अनिवार्य है। यह स्पष्ट किया जाता है कि शैक्षणिक अर्हता से संबंधित अंकसूची (सभी वर्षों के वार्षिक परीक्षा/सेमेस्टर की परीक्षा) दस्तावेज आयोग द्वारा समय-समय पर जारी शुद्धि पत्र एवं सूचना पत्रों में दर्शित अंतिम तिथि तक का मान्य होगा। उक्त तिथि के बाद के अंकसूची/उपाधि/प्रमाण पत्र/नवीन प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। इस संबंध में अंकसूची/उपाधि प्रमाण पत्र की मूल प्रति तथा दो-दो सत्यापित अथवा स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करें।

[Signature]

- 2.4 यदि आपने छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी होने एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग का होने के आधार पर आरक्षण का लाभ लेने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है, तो आवेदक को साक्षात्कार के लिये उपस्थित होने पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्राधिकृत सक्षम प्राधिकारी (अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व) द्वारा जारी किया गया स्थायी जाति प्रमाण पत्र, मध्यप्रदेश शासन के समय जारी किये गये प्रमाण पत्र का राज्य गठन के पश्चात् पुनर्वैधिकृत प्रमाण पत्र अथवा राज्य गठन के पश्चात् सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किए गए स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है, उक्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए जाने पर आपको अनर्ह करते हुए साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा।
- 2.5 यदि आपने छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी होने एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) का होने के आधार पर आरक्षण का लाभ लेने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है तो राज्य गठन के पश्चात् छत्तीसगढ़ शासन के सक्षम प्राधिकारी (अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व) द्वारा जारी किये गये अन्य पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है, परन्तु यदि आप एकीकृत मध्य प्रदेश के समय का छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाओं के अधीन जिले/अनुविभाग के द्वारा जारी किया गया "जाति प्रमाण पत्र" प्रस्तुत करते हैं तो उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त आवेदन प्रस्तुत करने के अंतिम तिथि के 03 वर्ष के भीतर का स्वयं को "गैर क्रीमीलेयर" में आने के संबंध में "आय प्रमाण पत्र" प्रस्तुत करना होगा तभी राज्य गठन के पूर्व जारी "जाति प्रमाण पत्र" (उल्लेखित अनुसार आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर) मान्य होगा। उल्लेखित अनुसार जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर आपको अनर्ह करते हुए साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा।
- 2.6 छ.ग. राज्य के गठन के पश्चात् अन्य पिछड़ा वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें (गैर क्रीमीलेयर) का होने के आधार पर छ.ग. शासन के सक्षम प्राधिकारी (अनुविभागीय अधिकारी राजस्व) द्वारा स्थायी जाति प्रमाण पत्र जारी किया गया है। यदि यह जाति प्रमाण पत्र विज्ञापन में दर्शित अंतिम तिथि के 3 वर्ष पूर्व का हो, तो उन अभ्यर्थियों को भी आवेदन प्रस्तुत करने के अंतिम तिथि के 03 वर्ष के भीतर का स्वयं को गैर क्रीमीलेयर में आने के संबंध में आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 2.7 यदि आप शासकीय/अर्द्धशासकीय/गैर शासकीय/नीजि प्रतिष्ठानों में कार्यरत हैं तो नियोक्ता/सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।
- 2.8 यदि आयोग द्वारा प्रसारित विज्ञापन के अनुसार आवेदन करने के पश्चात् आपके उपनाम में परिवर्तन हुआ हो तो उपनाम परिवर्तन का शपथपत्र की दो-दो सत्यापित अथवा स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करें।
- 2.9 जन्म तिथि के प्रमाण के संबंध में हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा से संबंधित मूल प्रति एवं दो-दो सत्यापित अथवा स्वप्रमाणित छायाप्रति।
- 2.10 यदि आप निःशक्तजन हैं तो शारीरिक विकलांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक हो तो चिकित्सा मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र की मूल प्रति एवं दो-दो सत्यापित अथवा स्वप्रमाणित छायाप्रति। छत्तीसगढ़ के स्थानीय/मूल निवासी निःशक्तजन ही मान्य होंगे।
- 2.11 यदि आप छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी हैं तथा आपने विज्ञापन में दर्शित अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट क्लेम किया है तो छूट क्लेम किये जाने से संबंधित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति एवं दो-दो सत्यापित अथवा स्वप्रमाणित छायाप्रति।
- 2.12 आपके द्वारा सहायक प्राध्यापक (उच्च शिक्षा विभाग) के लिए ऑनलाईन भरे गये आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी (प्रिंटआउट) की प्रति के साथ-साथ पहचान-पत्र जैसे मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड या पेन कार्ड इनमें से कोई भी एक पहचान पत्र की मूल प्रति एवं दो-दो छायाप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

3. यदि आप उपरोक्तानुसार जानकारी (जो लागू होता है) के साथ उपस्थित नहीं होते हैं तो आपको साक्षात्कार से वंचित किया जा सकेगा तथा आप उक्त पद हेतु वास्तव में सभी आवश्यक शर्तों की पूर्ति करते हैं अथवा नहीं, के निर्धारण करने का अधिकार आयोग का होगा एवं इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।
4. साक्षात्कार के लिए यात्रा व्यय स्वयं अभ्यर्थी के द्वारा वहन की जाएगी, परन्तु छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर कीमीलेयर) के केवल बेरोजगार अभ्यर्थियों को उनके द्वारा बस/रेल टिकट प्रस्तुत किये जाने पर साधारण दर्जे का वास्तविक किराया राशि की पात्रता होगी।
5. विशेष टीप :- उपर्युक्त के अतिरिक्त आपको साक्षात्कार के पूर्व मूल प्रमाण पत्रों की जाँच के समय निम्नानुसार अभिलेख (साक्षात्कार हेतु प्रावधिक रूप से बुलाये जाने के फलस्वरूप), प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उपर्युक्त विषय पद हेतु आपकी उम्मीदवारी आयोग द्वारा निरस्त की जा सकेगी।
- 6.1 साक्षात्कार के पूर्व विज्ञापन के अनुसार निर्धारित अर्हता, आयु सीमा छूट क्लेम किया हो तो तत्संबंध में दस्तावेज, आरक्षित श्रेणी के अन्तर्गत आवेदन हो तो निर्देश पैरा 2.3, 2.4 2.5 एवं 2.6 के अनुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इसके अभाव में आपको साक्षात्कार के लिए अनर्ह कर दिया जाएगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।
- 6.2 शैक्षणिक अर्हता से संबंधित अंक सूची (सभी वर्षों के वार्षिक परीक्षा/सेमेस्टर की परीक्षा) प्रमाण पत्र की मूल प्रति एवं दो-दो प्रति छायाप्रति प्रस्तुत करें।
- 6.3 यह स्पष्ट किया जाता है कि दस्तावेज सत्यापन/साक्षात्कार में अनुपस्थित रहने वाले आवेदकों को चयन के लिये अनर्ह माना जायेगा।
- 6.4 विज्ञापन की कंडिका 4 के अनुसार आयु की गणना 01/01/2019 से की जायेगी।
- 6.5 दस्तावेज सत्यापन के समय सहायक प्राध्यापक (उच्च शिक्षा विभाग) के लिए ऑनलाइन आवेदन की दो प्रति जमा करना अनिवार्य है।
- 6.6 सभी दस्तावेजों की मूल प्रतियाँ एवं दो-दो छायाप्रतियाँ सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है, मूल प्रमाण पत्र के अभाव में प्रस्तुत करने के लिए कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जायेगा तथा अभ्यर्थियों से कोई वचन पत्र/अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- 6.7 नोवेल कोराना वायरस (Covid-19) के संक्रमण के नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु आयोग कार्यालय परिसर में केवल अभ्यर्थियों को ही प्रवेश दिया जाएगा, अभ्यर्थियों के अतिरिक्त अन्य के लिए प्रवेश निषेध है। अभ्यर्थियों को फेसमास्क लगाना एवं हैंड सेनेटाईजर रखना अनिवार्य है, जो अभ्यर्थी फेसमास्क एवं हैंड सेनेटाईजर के बिना साक्षात्कार हेतु उपस्थित होगा उन्हें साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। **अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन/साक्षात्कार दिवस को निर्धारित समय (प्रथम पाली प्रातः 9.00 बजे एवं द्वितीय पाली 1.00 बजे) पर अनिवार्य रूप से उपस्थित होंगे।**

3rd 7.7.2021
परीक्षा नियंत्रक

छ.ग. लोक सेवा आयोग

रायपुर

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर
साक्षात्कार समय-सारिणी
सहायक प्राध्यापक परीक्षा-2019 (विषय-भौतिक शास्त्र)

दस्तावेज सत्यापन दिनांक	साक्षात्कार दिनांक	प्रथम पाली (सुबह 9:00 बजे से)	द्वितीय पाली (दोपहर 1:00 बजे से)
24-07-2021	26-07-2021	190202100001	190202100092
		190202100005	190202100096
		190202100007	190202100099
		190202100015	190202100105
		190202100017	190202100108
		190202100018	190202100109
		190202100020	190202100115
		190202100022	190202100116
		190202100023	190202100120
		190202100025	190202100121
		190202100026	190202100122
		190202100033	190202100123
		190202100035	190202100126
		190202100039	190202100133
		190202100041	190202100144
		190202100042	190202100156
		190202100046	190202100158
		190202100050	190202100169
		190202100058	190202100171
		190202100065	190202100178
		190202100067	190202100197
		190202100070	190202100198
		190202100071	190202100202
		190202100072	190202100204
		190202100076	190202100206
		190202100080	190202100212
		190202100081	190202100232
		190202100082	
		190202100087	
		190202100089	

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर
साक्षात्कार समय-सारिणी
सहायक प्राध्यापक परीक्षा-2019 (विषय-भौतिक शास्त्र)

दस्तावेज सत्यापन दिनांक	साक्षात्कार दिनांक	प्रथम पाली (सुबह 9:00 बजे से)	द्वितीय पाली (दोपहर 1:00 बजे से)
26-07-2021	27-07-2021	190202100244	190202100545
		190202100245	190202100552
		190202100257	190202100578
		190202100258	190202100584
		190202100269	190202100595
		190202100275	190202100611
		190202100277	190202100617
		190202100287	190202100623
		190202100309	190202100640
		190202100310	190202100650
		190202100321	190202100655
		190202100323	190202100660
		190202100350	190202100663
		190202100352	190202100664
		190202100353	190202100679
		190202100371	190202100703
		190202100373	190202100708
		190202100405	190202100709
		190202100424	190202100716
		190202100448	190202100727
		190202100469	190202100729
		190202100473	190202100743
		190202100480	190202100754
		190202100482	190202100768
		190202100500	190202100774
		190202100501	190202100776
		190202100504	190202100777
		190202100506	
		190202100523	
		190202100524	

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर
साक्षात्कार समय-सारिणी
सहायक प्राध्यापक परीक्षा-2019 (विषय-भौतिक शास्त्र)

दस्तावेज सत्यापन दिनांक	साक्षात्कार दिनांक	प्रथम पाली (सुबह 9:00 बजे से)	द्वितीय पाली (दोपहर 1:00 बजे से)
27-07-2021	28-07-2021	190202100782	190202101070
		190202100795	190202101082
		190202100799	190202101106
		190202100810	190202101107
		190202100814	190202101111
		190202100816	190202101115
		190202100820	190202101120
		190202100833	190202101138
		190202100854	190202101149
		190202100868	190202101158
		190202100880	190202101164
		190202100894	190202101182
		190202100913	190202101184
		190202100914	190202101189
		190202100933	190202101190
		190202100936	190202101200
		190202100941	190202101208
		190202100954	190202101212
		190202100962	190202101229
		190202100964	190202101247
		190202100973	190202101258
		190202100976	190202101259
		190202100987	190202101268
		190202101014	190202101275
		190202101016	190202101306
		190202101032	190202101309
		190202101033	190202101310
		190202101036	
		190202101047	
		190202101062	

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर
साक्षात्कार समय-सारिणी
सहायक प्राध्यापक परीक्षा-2019 (विषय-भौतिक शास्त्र)

दस्तावेज सत्यापन दिनांक	साक्षात्कार दिनांक	प्रथम पाली (सुबह 9:00 बजे से)	द्वितीय पाली (दोपहर 1:00 बजे से)
28-07-2021	29-07-2021	190202101326	
		190202101334	
		190202101344	
		190202101347	
		190202101353	
		190202101396	
		190202101402	
		190202101405	
		190202101407	
		190202101414	
		190202101419	
		190202101421	
		190202101424	
		190202101439	
		190202101446	
		190202101475	
		190202101491	
		190202101497	
		190202101503	
		190202101506	
		190202101507	

टीप :- आयोग द्वारा साक्षात्कार बुलावा पत्र डाक के माध्यम से नहीं भेजे जाएंगे। अभ्यर्थी साक्षात्कार बुलावा पत्र एवं संलग्न दस्तावेज

आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर प्राप्त कर सकते हैं।

30/7/2021
परीक्षा नियंत्रक
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग,
रायपुर